


समाज कल्याण विभाग, उत्तरांचल

नेत्रहीन मूक बधिर तथा शारीरिक रूप से विकलांग निराश्रित व्यक्तियों को उनके भरण-पोषण हेतु अनुदान स्वीकृत करने के लिए आवेदन-पत्र वित्तीय वर्ष 200



नोट: आवेदन पत्र को वे ही व्यक्ति भरें जो राज्य सरकार के किसी विभाग से अनुदान सहायता भत्ता न प्राप्त करते हों एवं उनकी शारीरिक आर्थिक स्थिति सम्बन्धित नियमावली में दिये गये नियमों के अनुकूल हो आवेदन पत्र में उल्लेखनीय समस्त बिन्दुओं पर वांछित विवरण सूचना दिया जाना अनिवार्य है। समस्त सूचना सही व स्पष्ट दी जानी चाहिये आवेदन पत्र अपने जिले के जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय में उनके द्वारा निश्चित तिथि तक जमा किये जायेंगे जिन प्रार्थना - पत्रों में सत्य पूर्ण तथा वांछित सूचना नहीं दी जायेगी अथवा आवेदन पत्र निर्धारित समय के भीतर कार्यालय में जमा नहीं किये जायेंगे तो उन पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

जिला.....तहसील.....नगर/ग्राम.....

प्रार्थी/प्रार्थिनी का नाम /स्थाई पता ग्राम/मोहल्ला.....

पोस्ट.....जिला.....

जाति(यदि अनु०जाति/अनु०जनजाति के हैं तो समक्ष अधिकारी का प्रमाण-पत्र भी संलग्न करें)

प्रार्थी/प्रार्थिनी की जन्म तिथि (प्रमाण-पत्र सहित).....

पिता का नाम.....

प्रदेश जिसके निवासी हैं.....

उत्तरांचल में निवास की अवधि.....

प्रार्थी/प्रार्थिनी के स्वास्थ्य की स्थिति वांछिता के अनुसार प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें.....

प्रार्थी/प्रार्थिनी निराश्रित है तो प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें.....

प्रार्थी/प्रार्थिनी की चल-अचल सम्पत्ति का विवरण.....

प्रार्थी/प्रार्थिनी की मासिक आय.....

प्रार्थी/प्रार्थिनी को अन्य सहायता.....

प्रार्थी/प्रार्थिनी को अन्य सहायता राज्य अनुदान भारत सरकार गैर संगठन से प्राप्ति होती है यदि हाँ तो उल्लेख करें.....

प्रार्थी/प्रार्थिनी द्वारा शपथ-पत्र

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि-

(क)मेरे गुजर-बसर का कोई जरिया नहीं है और न किसी प्रकार की कोई आय है।

(ख)मुझे शासन द्वारा कोई सहायता या पैन्शन नहीं मिलती है।

(ग)मैंने इससे पूर्व शासन को आर्थिक सहायता हेतु कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया।

(घ)प्रार्थना-पत्र में जो भी सूचनायें दी गई है ये सत्य हैं गलत सिद्ध हो तो अनुदान की धनराशि सरकार की सम्बन्धित नियमावली के अनुसार वापिस करने के बाध्य होऊंगा/होऊगी।

(ङ)मेरा कोई पुत्र अथवा पौत्र निकट सम्बन्धी नहीं है जो मेरे भरण-पोषण में सहायता प्रदान करता हो।

प्रार्थी/प्रार्थिनी के हस्ताक्षर

क्या आपको इस योजना के अन्तर्गत गत वर्ष/चालू वर्ष में अनुदान की सहायता प्रदान की गई है यदि हां तो निम्नलिखित प्रमाण-पत्र दें।

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि गत वर्ष.....दिनांक.....से
रु०.....तक के लिये स्वीकृत किया गया था।

प्रार्थी/प्रार्थिनी के हस्ताक्षर या निशानी अंगूठा

जिला समाज कल्याण अधिकारी की जांच आख्या

- 1- प्रार्थना-पत्र दिनांक.....को प्राप्त हुआ था और मैंने इस प्रार्थना-पत्र में प्रार्थी/प्रार्थिनी द्वारा प्रार्थना-पत्र में दी गई सत्यता प्रमाण-पत्रों को भली प्रकार निरीक्षण कर लिया है जो सत्य हैं।
- 2- जिला समाज कल्याण अधिकारी की स्वयं अथवा निरीक्षणकर्ता की संस्तुति के आधार पर श्री/श्रीमती/कुमारी.....को भरण-पोषण हेतु रु०.....प्रतिमाह की दर से.....प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दिनांक.....से.....तक के लिये स्वीकार की जाती है।
वित्तीय वर्ष 200.....में आदेश संख्या.....दिनांक के अन्तर्गत श्री/श्रीमती/कुमारी.....को रु०.....प्रतिमाह की दर से रु०.....की आर्थिक सहायता दिनांक.....से.....तक.....के लिये स्वीकृत की गई थी इसके आधार पर वर्ष.....में.....रु०.....प्रतिमाह की दर से आर्थिक सहायता दिनांक.....से.....तक के नवीनीकरण की स्वीकृत प्रदान की जाती है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर

टिप्पणी : समस्त आवेदन पत्र अपने जिले के समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय में निर्धारित समय के अन्दर प्रस्तुत कर देना चाहिये। आवेदन पत्र के साथ समक्ष अधिकारी द्वारा निम्नलिखित प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

- 1- प्रार्थी/प्रार्थिनी की शारीरिक बाधिता चिकित्सा प्रमाण-पत्र समक्ष अधिकारी द्वारा दिये जाने (मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा)
- 2- आयु का प्रमाण-पत्र
- 3- मासिक आय का प्रमाण-पत्र (तहसीलदार द्वारा)
- 4- आवास प्रमाण-पत्र
- 5- चल/अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र
- 6- अनुबन्ध पत्र
- 7- परिवार के सदस्यों का विवरण
- 8- जाति का प्रमाण-पत्र (यदि अनु० जाति/अनु०जनजाति से सम्बन्धित है) तहसीलदार द्वारा
- 9- ग्राम पंचायत का स्वीकृति प्रस्ताव